अनिवार्य प्रकटीकरण

२०२५ – २०२६

नागरिक अधिकार पत्र

राजीव गांधी विश्वविद्यालय

(केंद्रीय विश्वविद्यालय)

रोनो हिल्स, दोईमुख

अरुणाचल प्रदेश-७९१११२

नागरिक अधिकार पत्र

राजीव गांधी विश्वविद्यालय (पूर्व में अरुणाचल विश्वविद्यालय), अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थान, अपने अस्तित्व के बयालीस वर्ष पूर्ण कर चुका है। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 4 फरवरी 1984 को विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी। इसके पश्चात, अकादमिक सत्र 1988-89 से इसने रोनो हिल्स के विस्तृत एवं मनोहारी परिसर में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए। दिनांक 9 अप्रैल 2007 को भारत सरकार के तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया।

यह विश्वविद्यालय 302 एकड़ में फैले रोनो हिल्स के एक सुंदर पठारी क्षेत्र पर स्थित है, जो डिकरॉन्ग (पारे) नदी को अवलोकित करता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 415 से 6.5 किलोमीटर तथा राज्य की राजधानी ईटानगर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। परिसर राष्ट्रीय राजमार्ग से डिकरॉन्ग (पारे) पुल द्वारा जुड़ा हुआ है।

दृष्टि (VISION)

राजीव गांधी विश्वविद्यालय भारत का सबसे जीवंत, ऊर्जावान, उत्तरदायी एवं प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय बनने की आकांक्षा रखता है, जिसे शिक्षण, शोध एवं सभी समुदायों के शिक्षार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने में उत्कृष्टता के लिए जाना जाए। विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों की प्रतिभा का पोषण कर उनके बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करना तथा उन्हें बहु-कौशलयुक्त, सामाजिक रूप से उत्तरदायी, सृजनात्मक, अनुकूलनशील, योगदानशील एवं नैतिक रूप से सुदृढ़ वैश्विक नागरिक के रूप में विकसित करना है।

मिशन (MISSION)

हमारा मिशन विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले विद्यार्थियों को अवसर एवं सहयोग प्रदान करना है, जिससे वे स्थानीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक समुदायों के साथ सतत सहभागिता के माध्यम से अपनी बौद्धिक, नैतिक, नागरिक एवं सृजनात्मक क्षमताओं का पूर्ण विकास कर एक सुविज्ञ वैश्विक नागरिक बन सकें। विश्वविद्यालय का उद्देश्य सक्रिय एवं गतिशील छात्र-शिक्षक सहभागिता के माध्यम से शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त करना तथा विद्यार्थियों में उच्च नैतिक, आचारिक एवं व्यावसायिक मानकों का विकास करना है, जिससे वे अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें एवं समुदाय के नेतृत्व एवं सेवा में योगदान दे सकें।

मुख्य उद्देश्य (KEY OBJECTIVES)

विश्वविद्यालय के उद्देश्य ज्ञान के प्रसार एवं संवर्धन हेतु शिक्षण एवं शोध सुविधाएँ प्रदान करना है, तथा ऐसी अध्ययन शाखाओं में एकीकृत पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना है जिन्हें यह उपयुक्त समझे; मानविकी, प्राकृतिक एवं भौतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, वानिकी एवं अन्य संबंधित विषयों में समन्वित पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना; शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, अंतर्विषयक अध्ययन एवं शोध में नवाचार को बढ़ावा देना; अरुणाचल प्रदेश के विकास हेतु मानव संसाधन का शिक्षण एवं प्रशिक्षण करना; तथा राज्य के लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति तथा उनके बौद्धिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास पर विशेष ध्यान देना।

मूल मूल्य (CORE VALUES)

विश्वविद्यालय निम्नलिखित मूल मूल्यों से प्रेरित है:

i. नवाचार एवं प्रगति के साथ सतत शिक्षण एवं अध्यापन

ii. समावेशी मानव विकास एवं प्रगति

iii. टीमवर्क

iv. गुणवत्ता

v. सामाजिक उत्तरदायित्व

vi. पारदर्शिता एवं खुलेपन

शैक्षणिक सत्र 2025–2026 हेतु अकादमिक कैलेंडर
(राजीव गांधी विश्वविद्यालय एवं इससे संबद्ध सभी महाविद्यालयों के लिए)

भाग – क

1. पीएचडी, स्नातकोत्तर एवं स्नातक कार्यक्रमों (प्रथम सेमेस्टर) में प्रवेश

स्नातक कार्यक्रम (महाविद्यालय/विश्वविद्यालय)		
क्र.सं.	**विवरण**	**तिथि**
1.1.1	भरे हुए आवेदन पत्र जमा करना	14 अगस्त 2025 (गुरुवार) तक
1.1.2	आवेदनों की जांच एवं पात्र अभ्यर्थियों की सूचना	22 अगस्त 2025 (शुक्रवार) तक
1.1.3	चयनित अभ्यर्थियों का प्रवेश	25–27 अगस्त 2025
1.1.4	प्रतीक्षा सूची की सूचना	28 अगस्त 2025 (गुरुवार)
1.1.5	प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों का प्रवेश	29 अगस्त–1 सितंबर 2025
1.1.6	कक्षाओं का प्रारम्भ	3 सितंबर 2025 (बुधवार)
स्नातकोत्तर / डिप्लोमा / प्रमाणपत्र कार्यक्रम		
क्र.सं.	**विवरण**	**तिथि**
1.2.1	दस्तावेज़ सत्यापन	4–7 अगस्त 2025
1.2.2	पात्र अभ्यर्थियों का प्रकाशन	8 अगस्त 2025 तक
1.2.3	चयनित अभ्यर्थियों का प्रवेश	11–12 अगस्त 2025
1.2.4	प्रतीक्षा सूची की सूचना	13 अगस्त 2025
1.2.5	प्रतीक्षा सूची का प्रवेश	14–15 अगस्त 2025
1.2.6	कक्षाओं का प्रारम्भ	20 अगस्त 2025
इंटरव्यू आधारित पीजी/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कार्यक्रम		
क्र.सं.	**विवरण**	**तिथि**
1.3.1	दस्तावेज़ सत्यापन	28–29 जुलाई 2025
1.3.2	पात्र अभ्यर्थियों की सूचना	30 जुलाई 2025 तक
1.3.3	साक्षात्कार/वाइवा/टेस्ट	5 अगस्त 2025 तक
1.3.4	चयनित अभ्यर्थियों की सूचना	8 अगस्त 2025 तक
1.3.5	चयनित अभ्यर्थियों का प्रवेश	11–12 अगस्त 2025
1.3.6	प्रतीक्षा सूची की सूचना	13 अगस्त 2025
1.3.7	प्रतीक्षा सूची का प्रवेश	14–15 अगस्त 2025
1.3.8	कक्षाओं का प्रारम्भ	20 अगस्त 2025
पीएच.डी. प्रवेश		
क्र.सं.	**विवरण**	**तिथि**
1.4.1	दस्तावेज़ सत्यापन	28–29 जुलाई 2025
1.4.2	पात्र अभ्यर्थियों की सूचना	30 जुलाई 2025 तक
1.4.3	वाइवा-व्होसे परीक्षा	5 अगस्त 2025 तक

1.4.4	चयनित अभ्यर्थियों की सूचना	8 अगस्त 2025 तक
1.4.5	प्रवेश	11–12 अगस्त 2025
1.4.6	प्रतीक्षा सूची की सूचना	13 अगस्त 2025
1.4.7	प्रतीक्षा सूची का प्रवेश	14–15 अगस्त 2025
1.4.8	कक्षाओं का प्रारम्भ	20 अगस्त 2025
RGUCET / RGUPET		
क्र.सं.	**विवरण**	**तिथि**
1.5.1 (2025)	परीक्षा परिणाम (PI/Interview आधारित)	25 जुलाई 2025 तक
1.5.2 (2025)	शेष कार्यक्रमों के परिणाम	31 जुलाई 2025 तक
1.5.1 (2026)	ऑनलाइन आवेदन	10 अप्रैल–4 मई 2026
1.5.2 (2026)	प्रवेश परीक्षा	3–13 जून 2026
1.5.3 (2026)	परिणाम (PI आधारित)	24 जुलाई 2026 तक
1.5.4 (2026)	शेष परिणाम	30 जुलाई 2026 तक

* **यूजीसी/एमओई के पीएच.डी. एवं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार परिवर्तन/निरस्तीकरण के अधीन**

भाग – बी

2. मध्यवर्ती सेमेस्टर छात्रों का प्रवेश

2.1 मध्यवर्ती सेमेस्टर छात्रों (तृतीय, पंचम, सप्तम सेमेस्टर) का प्रवेश		
क्र.सं.	**विवरण**	**तिथि**
2.1.1	नियमित प्रवेश	28 जुलाई, 2025 (सोमवार) – 30 जुलाई, 2025 (बुधवार)
2.1.2	विलंब शुल्क सहित प्रवेश	31 जुलाई, 2025 (गुरुवार) – 1 अगस्त, 2025 (शुक्रवार)
2.1.3	मध्यवर्ती सेमेस्टरों के लिए कक्षाओं का प्रारंभ	4 अगस्त, 2025 (सोमवार)
2.2 विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठ एवं अष्टम सेमेस्टर छात्रों का प्रवेश		
क्र.सं.	**विवरण**	**तिथि**
2.2.1	नियमित प्रवेश	19 जनवरी, 2026 (सोमवार) – 20 जनवरी, 2026 (मंगलवार)
2.2.2	विलंब शुल्क सहित प्रवेश	21 जनवरी, 2026 (बुधवार) – 22 जनवरी, 2026 (गुरुवार)
2.2.3	कक्षाओं का प्रारंभ	21 जनवरी, 2026 (बुधवार)

भाग – सी

3. एम.ए./एम.एससी./एम.कॉम./एम.एड./बी.एड./एमसीए/पीएच.डी. (कोर्स वर्क)/एमबीए/एम.टेक आदि तथा सेमेस्टर आधारित स्नातक एवं अन्य डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की परीक्षा

3.1 प्रथम, तृतीय, पंचम एवं सप्तम सेमेस्टर		
क्र.सं.	**विवरण**	**तिथि**
3.1.1	परीक्षा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि	14 नवंबर, 2025 (शुक्रवार)

3.1.2	पात्र विद्यार्थियों की सूची एवं आंतरिक मूल्यांकन अंक परीक्षा नियंत्रक कार्यालय (CoE) में जमा करने की अंतिम तिथि (महाविद्यालय/विश्वविद्यालय विभाग/संस्थान द्वारा)	19 नवंबर, 2025 (बुधवार)
3.1.3	परीक्षा का संचालन	2 दिसंबर, 2025 (मंगलवार) से 19 दिसंबर, 2025 (शुक्रवार)
3.1.4	यूजी, पीजी एवं पीएच.डी. (कोर्सवर्क) परिणाम की घोषणा	9 जनवरी, 2026 (शुक्रवार) तक या उससे पूर्व
3.2 द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठ एवं अष्टम सेमेस्टर		
क्र.सं.	**विवरण**	**तिथि**
3.2.1	परीक्षा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि	4 मई, 2026 (सोमवार)
3.2.2	पात्र विद्यार्थियों की सूची एवं आंतरिक मूल्यांकन अंक परीक्षा नियंत्रक कार्यालय (CoE) में जमा करने की अंतिम तिथि (महाविद्यालय/विश्वविद्यालय विभाग/संस्थान द्वारा)	7 मई, 2026 (गुरुवार)
3.2.3	परीक्षा का संचालन	11 मई, 2026 (सोमवार) से 29 मई, 2026 (शुक्रवार)
3.2.4	यूजी एवं पीजी परिणाम की घोषणा	10 जून, 2026 (बुधवार) तक या उससे पूर्व

भाग – डी

4. महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय विभागों/संस्थानों का अवकाश एवं पुनः प्रारंभ

4.1	विश्वविद्यालय विभागों/संस्थानों एवं महाविद्यालयों हेतु ग्रीष्मकालीन अवकाश (2024-25)	16 जून, 2025 (सोमवार) से 18 जुलाई, 2025 (शुक्रवार) तक
4.2	विश्वविद्यालय विभागों/संस्थानों एवं महाविद्यालयों का पुनः प्रारंभ (2024-25)	21 जुलाई, 2025 (सोमवार)
4.3	महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय विभागों/संस्थानों हेतु शीतकालीन अवकाश (2024-25)	22 दिसंबर, 2025 (सोमवार) से 16 जनवरी, 2026 (शुक्रवार) तक
4.4	शीतकालीन अवकाश (2024-25) के पश्चात महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय विभागों/संस्थानों का पुनः प्रारंभ	19 जनवरी, 2026 (सोमवार)
4.5	महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय विभागों/संस्थानों हेतु ग्रीष्मकालीन अवकाश (2025-26)	15 जून, 2026 (सोमवार) से 17 जुलाई, 2026 (शुक्रवार) तक
4.6	महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय विभागों/संस्थानों का पुनः प्रारंभ (2025-26)	20 जुलाई, 2026 (सोमवार)

भाग – ई

5. अन्य गतिविधियाँ

5.1	विश्वविद्यालय खेल एवं सांस्कृतिक समारोह	अक्टूबर 2025 का तृतीय एवं चतुर्थ सप्ताह
5.2	दीक्षांत समारोह	30 नवम्बर, 2025 (रविवार) *परिवर्तन के अधीन*

शैक्षणिक सत्र 2026–2027 हेतु शैक्षणिक कैलेंडर
(राजीव गांधी विश्वविद्यालय से संबद्ध विश्वविद्यालय विभागों एवं महाविद्यालयों दोनों के लिए)

भाग – I

A. पीएच.डी., स्नातकोत्तर एवं स्नातक कार्यक्रमों (प्रथम सेमेस्टर) में प्रवेश

क्र. सं.	कार्यक्रम	तिथि
1	प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया का समापन	
	(a) विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के स्नातक कार्यक्रम	31 जुलाई 2026 (शुक्रवार) तक
	(b) विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर कार्यक्रम	7 अगस्त 2026 (शुक्रवार) तक
	(c) पीजी डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स	7 अगस्त 2026 (शुक्रवार) तक
	(d) पीएच.डी. कार्यक्रम (विश्वविद्यालय)	
	(i) ग्रीष्मकालीन सत्र	14 अगस्त 2026 (शुक्रवार) तक
	(ii) शीतकालीन सत्र	29 जनवरी 2027 (शुक्रवार) तक
2	शुल्क भुगतान, छात्रावास प्रवेश एवं कमरे का आवंटन	14 अगस्त 2026 (शुक्रवार) तक
3	छात्रावासों का उद्घाटन	16 अगस्त 2026 (रविवार)
4	नवप्रवेशित विद्यार्थियों हेतु कक्षाओं का प्रारंभ	17 अगस्त 2026 (सोमवार)
5	नवप्रवेशित विद्यार्थियों हेतु इंडक्शन कार्यक्रम	3 सितंबर 2026 (गुरुवार) तक

B. मध्य सेमेस्टर विद्यार्थियों का प्रवेश

क्र. सं.	कार्यक्रम	तिथि
1	विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के **विषम सेमेस्टर** हेतु प्रवेश प्रक्रिया का समापन	24 जुलाई 2026 (शुक्रवार) तक
2	शुल्क भुगतान, छात्रावास प्रवेश एवं बोर्डरों के लिए कमरों का आवंटन	25 जुलाई 2026 (शनिवार) तक
3	छात्रावासों का उद्घाटन	26 जुलाई 2026 (रविवार)
4	कक्षाओं का प्रारंभ	27 जुलाई 2026 (सोमवार)
5	छात्रावास समापन	20 दिसंबर 2026 (रविवार)
6	विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के **सम सेमेस्टर** हेतु प्रवेश प्रक्रिया का समापन	22 जनवरी 2027 (शुक्रवार) तक
7	शुल्क भुगतान, छात्रावास प्रवेश एवं (यदि कोई हो) कमरों का आवंटन	23 जनवरी 2027 (शनिवार) तक
8	छात्रावासों का उद्घाटन	24 जनवरी 2027 (रविवार)
9	कक्षाओं का प्रारंभ	25 जनवरी 2027 (सोमवार)
10	छात्रावास समापन	12 जून 2027 (रविवार)

भाग – II

C. परीक्षा

क्र. सं.	कार्यक्रम	तिथि
विषम सेमेस्टर (ODD SEMESTER) परीक्षाएँ		
1	आंतरिक मूल्यांकन एवं मूल्यांकन का समापन	20 नवम्बर 2026 (शुक्रवार) तक
2	विश्वविद्यालय विभागों/संस्थानों एवं महाविद्यालयों द्वारा परीक्षा हेतु पात्र विद्यार्थियों की सूची एवं आंतरिक मूल्यांकन अंक का प्रेषण	20 नवम्बर 2026 (शुक्रवार)

3	ऑनलाइन परीक्षा प्रपत्र जमा करना	23 नवम्बर 2026 (सोमवार) से 25 नवम्बर 2026 (बुधवार) तक
4	सेमेस्टर कक्षाओं का समापन	20 नवम्बर 2026 (शुक्रवार)
5	उपचारात्मक कक्षाएँ (Remedial Classes)	23 नवम्बर 2026 (सोमवार) से 27 नवम्बर 2026 (शुक्रवार) तक
6	सेमेस्टर-अंत परीक्षा	2 दिसम्बर 2026 (बुधवार) से 19 दिसम्बर 2026 (शनिवार) तक
7	परिणाम घोषणा	8 जनवरी 2027 (शुक्रवार) तक

भाग – III

D. विश्वविद्यालय विभागों/संस्थानों एवं महाविद्यालयों का अवकाश एवं पुन: प्रारंभ

क्र. सं.	कार्यक्रम	तिथि
1	विश्वविद्यालय विभागों/संस्थानों एवं महाविद्यालयों हेतु ग्रीष्मकालीन अवकाश (2026)	15 जून 2026 (सोमवार) से 17 जुलाई 2026 (शुक्रवार) तक
2	विश्वविद्यालय विभागों/संस्थानों एवं महाविद्यालयों का पुनः प्रारंभ (2026)	20 जुलाई 2026 (सोमवार)
3	विश्वविद्यालय विभागों/संस्थानों एवं महाविद्यालयों हेतु शीतकालीन अवकाश (2026-27)	21 दिसंबर 2026 (सोमवार) से 15 जनवरी 2027 (शुक्रवार) तक
4	विश्वविद्यालय विभागों/संस्थानों एवं महाविद्यालयों का पुनः प्रारंभ (2026-27)	18 जनवरी 2027 (सोमवार)
5	विश्वविद्यालय विभागों/संस्थानों एवं महाविद्यालयों हेतु ग्रीष्मकालीन अवकाश (2027)	14 जून 2027 (सोमवार) से 16 जुलाई 2027 (शुक्रवार) तक
6	विश्वविद्यालय विभागों/संस्थानों एवं महाविद्यालयों का पुनः प्रारंभ (2027)	19 जुलाई 2027 (सोमवार)

भाग – IV

D. विश्वविद्यालय सह-शैक्षणिक/अतिरिक्त पाठ्येतर गतिविधियाँ

क्र. सं.	कार्यक्रम	तिथि
1	विश्वविद्यालय खेल एवं सांस्कृतिक समारोह (शैक्षणिक वर्ष 2026-27)	अक्टूबर 2026 का प्रथम या द्वितीय सप्ताह
2	दीक्षांत समारोह (शैक्षणिक वर्ष 2025-26)	नवम्बर 2026 का तृतीय या चतुर्थ सप्ताह

प्रवेश

विश्वविद्यालय ने NEP-2020 के अनुरूप सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों में वर्ष 2023-24 से NHEQF एवं NCrF आधारित पाठ्यक्रम रूपरेखा को लागू किया है।

राजीव गांधी विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया बाह्य परीक्षा-आधारित प्रणाली के माध्यम से संचालित की जाती है, जिसमें निम्नलिखित मानदंड शामिल हैं:

(i) स्नातक (Under Graduate) कार्यक्रमों हेतु 10+2 योग्यता के साथ CUET-UG के अंक

(ii) स्नातकोत्तर (Post Graduate) एवं डिप्लोमा कार्यक्रमों हेतु CUET-PG के अंक

(iii) पीएच.डी. कार्यक्रमों हेतु UGC/CSIR-NET के अंक

(iv) ITEP कार्यक्रम हेतु NCTE के अंक

(v) प्रमाणपत्र (Certificate) कार्यक्रमों हेतु संबंधित योग्यता परीक्षा के अंक

यदि किसी भी कार्यक्रम में सीटें रिक्त रहती हैं, तो प्रवेश मेरिट आधारित एवं विश्वविद्यालय के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

अधिक जानकारी हेतु: https://admissions.rgu.ac.in/

स्नातकोत्तर कार्यक्रम

क्र. सं.	कार्यक्रम	सीटों की संख्या	पात्रता	अवधि
1	MSc in Agricultural Economics	14 (1)	B.Sc. Agriculture में 50% अंक	2 वर्ष
2	MSc in Agronomy	14 (1)	B.Sc. Agriculture में 50% अंक	2 वर्ष
3	MA Anthropology	42 (4)	Anthropology/संबद्ध विषय में स्नातक (45%)	2 वर्ष
4	MSc Applied Geology	24 (2)	Geology मुख्य विषय के साथ स्नातक	2 वर्ष
5	MSc Botany	30 (3)	10+2+3 पैटर्न में Botany में 45% अंक	2 वर्ष
6	MBA	53 (5)	किसी भी विषय में स्नातक (50%)	2 वर्ष
7	MSc Chemistry	33 (3)	Chemistry में 45% अंक	2 वर्ष
8	M.Com	65 (6)	Commerce में 45% अंक	2 वर्ष
9	MCA (CSE)	55 (5)	BCA/स्नातक (Math/Stats अनिवार्य)	2 वर्ष
10	M.Tech CSE	22 (2)	Engineering/CS/IT/MCA/MSc (CS/IT), GATE वरीयता	2 वर्ष
11	MA Defence & Strategic Studies	38 (4)	स्नातक (45%)	2 वर्ष
12	MA Economics	72 (7)	Economics में 45% अंक	2 वर्ष
13	MA Education	62 (6)	Education में 45% अंक	2 वर्ष

14	M.Tech ECE	22 (2)	B.Tech/EE/ECE/IT/MSc Electronics आदि	2 वर्ष
15	MA English	60 (6)	English में 45% अंक	2 वर्ष
16	MSc Agricultural Entomology	14 (1)	B.Sc Agriculture/Horticulture (55%)	2 वर्ष
17	MSc Food Technology	20 (2)	Food Tech/Biology/Biochem (50%)	2 वर्ष
18	MA/MSc Geography	59 (5)	Geography में 45% अंक	2 वर्ष
19	MA Hindi	62 (6)	Hindi में 45% अंक	2 वर्ष
20	MA History	84 (8)	History में 45% अंक	2 वर्ष
21	LLM	30 (3)	Law स्नातक	2 वर्ष
22	MA Mass Communication	41 (4)	स्नातक (45%)	2 वर्ष
23	MSc Mathematics & Computing	50 (5)	Mathematics में 45% अंक	2 वर्ष
24	MPA (Hindustani Classical Music Vocal)	17 (1)	B.Music/BPA (45%)	2 वर्ष
25	MSc Physics	34 (3)	Physics में 45% अंक	2 वर्ष
26	MA Political Science	76 (7)	Political Science में 45% अंक	2 वर्ष
27	MA Psychology	34 (3)	स्नातक (50%)	2 वर्ष
28	MSW	43 (4)	किसी भी विषय में स्नातक (50%)	2 वर्ष
29	MA Sociology	67 (6)	Sociology में योग्यता अनुसार	2 वर्ष
30	MSc Sports Biomechanics	24 (2)	संबंधित विज्ञान/स्पोर्ट्स/इंजीनियरिंग विषय	2 वर्ष
31	MSc Sports Physiology	24 (2)	संबंधित Life Sciences/Medical विषय	2 वर्ष
32	MSc Sports Psychology	24 (2)	Psychology/स्पोर्ट्स विषय	2 वर्ष
33	MSc Statistics	12 (1)	Statistics/Math (50%)	2 वर्ष
34	MSc Strength Training & Conditioning	20 (2)	Sports Science/PE/Diploma	2 वर्ष
35	MA Tribal Studies	25 (2)	स्नातक (45%)	2 वर्ष
36	MSc Zoology	32 (3)	Zoology में 45% अंक	2 वर्ष
37	MSc Horticulture (Vegetable Science)	10 (1)	B.Sc Agriculture (55%)	2 वर्ष
38	MSc Horticulture (Fruit Science)	10 (1)	B.Sc Agriculture (55%)	2 वर्ष
39	M.Tech CSE	22 (2)	Engineering/MSc/MCA (GATE वरीयता)	2 वर्ष
40	M.Tech ECE	22 (2)	Engineering/ECE/EEE/IT/MSc Electronics	2 वर्ष
41	MSc Plant Pathology	12 (1)	B.Sc Agriculture (50%)	2 वर्ष
42	MSc Soil Science & Agricultural Chemistry	12 (1)	B.Sc Agriculture (50%)	2 वर्ष
43	MSc Genetics & Plant Breeding	12 (1)	B.Sc Agriculture (50%)	2 वर्ष
44	M.Tech Agricultural Engineering	12 (1)	B.Tech Agriculture Engg (60%)	2 वर्ष

45	M.Lib & Information Science	20 (2)	BLIS (50%)	2 वर्ष
46	M.Lib & Information Science (Integrated)	30 (3)	किसी भी विषय में स्नातक	2 वर्ष
47	Master of Physical Education (M.P.Ed)	40 (4)	B.P.Ed / B.Sc Health & PE (50%)	2 वर्ष

चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUP)

क्र. सं.	कार्यक्रम	कुल सीटें	पात्रता	टिप्पणी
1	**B.Sc. in Agriculture (कृषि विज्ञान में स्नातक)**	26 (2)	अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (10+2) विज्ञान वर्ग में उत्तीर्ण की हो तथा निम्न में से कोई तीन विषय हों: भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित/कृषि विज्ञान	--
2	**BCA (Bachelor in Computer Applications) (कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातक)**	29 (2)	10+2 में गणित/सांख्यिकी विषय के साथ उत्तीर्ण अथवा CSE/ECE/IT में मान्यता प्राप्त 3 वर्षीय डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी	--
3	**B.Sc. in Geology (भूविज्ञान में स्नातक)**	34 (3)	अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (10+2) भौतिक विज्ञान/PCM समूह में भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो	--
4	**BFA (Bachelor of Fine Arts) (ललित कला में स्नातक)**	29 (2)	अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कला/विज्ञान/वाणिज्य वर्ग में 12वीं (10+2) उत्तीर्ण की हो	अभ्यर्थियों को RGU के ललित कला विभाग में कौशल परीक्षा में सम्मिलित होना होगा
5	**B.Music (संगीत में स्नातक)**	29 (2)	अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कला/विज्ञान/वाणिज्य वर्ग में 12वीं (10+2) उत्तीर्ण की हो	अभ्यर्थियों को RGU के संगीत विभाग में कौशल परीक्षा में सम्मिलित होना होगा

चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUP):

स्नातक अध्ययन संस्थान (IUGS) में संचालित
चार वर्षीय मेजर कार्यक्रम – प्रवेश विवरण

क्र. सं.	कार्यक्रम	सीटों की संख्या	पात्रता

1	चार वर्षीय B.Sc. (मेजर) भौतिकी (Physics)	12 + 1 (EWS)	अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (10+2) परीक्षा भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।
2	चार वर्षीय B.Sc. (मेजर) रसायन विज्ञान (Chemistry)	12 + 1 (EWS)	अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (10+2) परीक्षा भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।
3	चार वर्षीय B.Sc. (मेजर) गणित (Mathematics)	12 + 1 (EWS)	अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (10+2) परीक्षा भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।
4	चार वर्षीय B.Sc. (मेजर) सांख्यिकी (Statistics)	12 + 1 (EWS)	अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (10+2) परीक्षा भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।
5	चार वर्षीय B.A. (मेजर) मानवशास्त्र (Anthropology)	12 + 1 (EWS)	अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी संकाय में 12वीं (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
6	चार वर्षीय B.A. (मेजर) समाजशास्त्र (Sociology)	12 + 1 (EWS)	अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी संकाय में 12वीं (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
7	चार वर्षीय B.A. (मेजर) मनोविज्ञान (Psychology)	30 + 3 (EWS)	अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी संकाय में 12वीं (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
8	चार वर्षीय B.A. (मेजर) सामाजिक कार्य (BSW)	30 + 3 (EWS)	अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी संकाय में 12वीं (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
9	चार वर्षीय B.A. (मेजर) वनस्पति विज्ञान (Botany)	20 + 2 (EWS)	अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (10+2) परीक्षा भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।
10	चार वर्षीय B.A. (मेजर) प्राणी विज्ञान (Zoology)	20 + 2 (EWS)	अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (10+2) परीक्षा भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।
11	चार वर्षीय B.A. (मेजर) वाणिज्य (Commerce)	24 + 2 (EWS)	अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कला/वाणिज्य/विज्ञान संकाय में 12वीं (10+2) परीक्षा गणित विषय के साथ उत्तीर्ण की हो।
12	बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (BBA)	20 + 2 (EWS)	अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कला/वाणिज्य/विज्ञान संकाय में 12वीं (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (BA-B.Ed.)

चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम – प्रवेश विवरण

कार्यक्रम	सीटों की संख्या	पात्रता
चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (BA-B.Ed.)	50 (5)	अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी विषय/संकाय में 12वीं (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम

क्र. सं.	कार्यक्रम	सीटों की संख्या	पात्रता	अवधि
1	**PGDBI** (वाणिज्य विभाग द्वारा संचालित)	39 (3)	UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक एवं 50% अंक	1 वर्ष

2	**PGDMC** (जनसंचार विभाग द्वारा संचालित)	38 (3)	UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं 45% अंक	1 वर्ष
3	**PGDFH** (हिंदी विभाग द्वारा संचालित)	26 (2)	UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, जिसमें हिंदी एक विषय के रूप में हो तथा ऑनर्स/मेजर या पास कोर्स में अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन किया हो	1 वर्ष
4	**PGDGI** (भूगोल विभाग द्वारा संचालित)	31 (3)	M.A./M.Sc. (भौतिकी, गणित, अनुप्रयुक्त गणित, सांख्यिकी, भूविज्ञान, महासागर विज्ञान, भूगोल, शहरी एवं क्षेत्रीय नियोजन, प्राकृतिक/पर्यावरण विज्ञान) या BE/B.Tech (सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, कृषि इंजीनियरिंग, शहरी एवं क्षेत्रीय नियोजन) या B.Sc. (4 वर्षीय) कृषि/वानिकी में 55% अंक	1 वर्ष
5	**PGDTM** (प्रबंधन विभाग द्वारा संचालित)	26 (2)	किसी भी विषय में UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं 50% अंक। SC/ST अभ्यर्थियों के लिए 5% अंकों की छूट लागू होगी।	1 वर्ष
6	**PGDYTE** (शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित)	24 (2)	किसी भी विषय में स्नातक एवं 45% अंक	1 वर्ष
7	**PGDES** (समाजशास्त्र विभाग द्वारा संचालित)	19 (2)	सामाजिक विज्ञान विषय में स्नातक एवं 45% अंक	1 वर्ष
8	**PGDB** (Centre for Excellence in Biodiversity द्वारा संचालित)	19 (2)	UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में स्नातक एवं 45% अंक	1 वर्ष
9	**PGDM** (भूगोल विभाग द्वारा संचालित)	22 (2)	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक	1 वर्ष
10	**PGDFS** (मानवशास्त्र विभाग द्वारा संचालित)	16 (1)	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक एवं 45% अंक	1 वर्ष

स्नातक कार्यक्रम (UG PROGRAMMES) (स्नातक डिग्री के पश्चात)

शैक्षणिक कार्यक्रम एवं पात्रता मानदंड

क्र. सं.	कार्यक्रम	विश्वविद्यालय परिसर में सीटों की संख्या	संबद्ध महाविद्यालयों में सीटों की संख्या	पात्रता
1	**B.Ed.**	100 (10)	850	राजीव गांधी विश्वविद्यालय या किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से M.A./M.Sc./M.Com./B.A./B.Sc./B.Com./B.E./B.Tech. (विज्ञान एवं गणित विशेषज्ञता के साथ) 10+2+3 प्रणाली के अंतर्गत डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी, जिनके स्नातक में न्यूनतम 50% अंक हों।
2	**B.Ed. (विशेष शिक्षा)**	--	30	राजीव गांधी विश्वविद्यालय या किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से M.A./M.Sc./M.Com./B.A./B.Sc./B.Com./B.E./B.Tech. (विज्ञान एवं गणित विशेषज्ञता के साथ) 10+2+3 प्रणाली के अंतर्गत डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी, जिनके स्नातक में न्यूनतम 50% अंक हों।

3	**शारीरिक शिक्षा में स्नातक (B.P.Ed.)**	60 (6)	--	निम्न में से कोई एक योग्यता: 1. किसी भी विषय में स्नातक डिग्री में 50% अंक तथा AIU/IOA/SGFI/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर महाविद्यालय/अंतर क्षेत्रीय/जिला/विद्यालय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी। 2. शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री में 45% अंक। 3. किसी भी विषय में स्नातक डिग्री में 45% अंक तथा शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में अध्ययन किया हो। 4. किसी भी विषय में 45% अंक सहित स्नातक तथा राष्ट्रीय/अंतर विश्वविद्यालय/राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भागीदारी या AIU/IOA/SGFI/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया हो। 5. स्नातक डिग्री के साथ अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी या संबंधित संघ/AIU/IOA/SGFI/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया हो। 6. स्नातक में 45% अंक तथा न्यूनतम 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव (सेवारत/प्रतिनियुक्त अभ्यर्थियों जैसे प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा शिक्षक एवं कोच के लिए)।
4	**LL.B.**	--	300	किसी भी UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री एवं न्यूनतम 45% अंक।

प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

क्र. सं.	**कार्यक्रम का नाम**	**अवधि (माह/सप्ताह)**	**सीटों की संख्या**	**पात्रता**	**पाठ्यक्रम संचालित करने वाला विभाग**
1	संचारात्मक अंग्रेजी (Communicative English)	3 माह	36 (3)	किसी भी विषय में स्नातक डिग्री	अंग्रेजी विभाग
2	पर्यावरण स्वच्छता (Environmental Sanitation)	6 माह	25 (2)	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण या समकक्ष	सामाजिक कार्य विभाग
3	शक्ति प्रशिक्षण एवं कंडीशनिंग (Strength Training & Conditioning)	6 माह	12 (1)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से Sports Science/Physical Education and Sports में स्नातक डिग्री अथवा 1 वर्षीय Sports Coaching Diploma/1 वर्षीय Fitness Management Diploma के साथ 10+2+3 या 10+2+4 पैटर्न में न्यूनतम 55% अंक। SC/ST अभ्यर्थियों हेतु 5% अंकों की छूट लागू होगी।	वही (शारीरिक शिक्षा विभाग)
4	खेल मानवमिति (Sports Anthropometry)	6 माह	12 (1)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से Sports Sciences/Physical Education and Sports/Anthropology में	वही (शारीरिक

				स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री अथवा समकक्ष, 10+2+3 या 10+2+4+2 पैटर्न में न्यूनतम 50% अंक	शिक्षा विभाग)
5	**खेल प्रशिक्षण प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (Certificate Courses in Sports Coaching):** (i) बैडमिंटन (ii) बॉक्सिंग (iii) फुटबॉल (iv) टेबल टेनिस (v) मसाज थेरेपी	6 सप्ताह	प्रत्येक में 50 सीट	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण या समकक्ष	वही (शारीरिक शिक्षा विभाग)

पीएच.डी. प्रदान करने वाले विभाग/संस्थान

क्र. सं.	**पीएच.डी. कार्यक्रम**	**क्र. सं.**	**पीएच.डी. कार्यक्रम**	**क्र. सं.**	**पीएच.डी. कार्यक्रम**
1	मानवशास्त्र (Anthropology)	14	खाद्य प्रौद्योगिकी (Food Technology)	27	शारीरिक शिक्षा (Physical Education)
2	कृषि विज्ञान (Agronomy)	15	आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन (Genetics & Plant Breeding)	28	भौतिकी (Physics)
3	कृषि अर्थशास्त्र (Agricultural Economics)	16	भूगोल (Geography)	29	पादप रोग विज्ञान (Plant Pathology)
4	कृषि अभियांत्रिकी (Agricultural Engineering)	17	भूविज्ञान (Geology)	30	राजनीति विज्ञान (Political Science)
5	वनस्पति विज्ञान (Botany)	18	हिंदी (Hindi)	31	मनोविज्ञान (Psychology)
6	रसायन विज्ञान (Chemistry)	19	इतिहास (History)	32	सामाजिक कार्य (Social Work)
7	वाणिज्य (Commerce)	20	बागवानी (Horticulture)	33	समाजशास्त्र (Sociology)
8	कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी (CSE)	21	विधि (Law)	34	मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन (Soil Science & Agricultural Chemistry)
9	अर्थशास्त्र (Economics)	22	प्रबंधन (Management)	35	सांख्यिकी (Statistics)
10	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी (ECE)	23	जनसंचार (Mass Communication)	36	जनजातीय अध्ययन (Tribal Studies)
11	शिक्षा (Education)	24	गणित (Mathematics)	37	प्राणी विज्ञान (Zoology)
12	अंग्रेजी (English)	25	संग		

विभिन्न विभागों/संस्थानों में पीएच.डी. कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु सीटों की संख्या गतिशील (Dynamic) प्रकृति की होती है, क्योंकि यह प्रत्येक वर्ष उत्पन्न होने वाली रिक्तियों पर निर्भर करती है।

बी.एड. प्रवेश

प्रवेश प्रक्रिया:

बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश CUET-PG 2026 के माध्यम से किया जाएगा।

सीटों का विवरण:

कुल 100 सीटों में से कुछ सीटें निम्नलिखित हेतु आरक्षित होंगी:

अरुणाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा नामित प्रतिनियुक्त शिक्षकों हेतु सीटें।

खेल कोटा हेतु 1 सीट।

राजीव गांधी विश्वविद्यालय कर्मचारियों के आश्रितों हेतु 1 सुपरन्यूमेरी सीट।

शेष सीटें एवं EWS हेतु अतिरिक्त 10 सीटों को प्रत्यक्ष (Direct) सीटों एवं भुगतान आधारित (Paid) सीटों में समान रूप से विभाजित किया जाएगा। इन सीटों पर प्रवेश मेरिट एवं विभिन्न श्रेणियों के आरक्षण नियमों के अनुसार किया जाएगा।

Paid Seats हेतु प्रवेश:

बी.एड. की Paid Seats पर प्रवेश प्रवेश परीक्षा में प्राप्त मेरिट एवं निर्धारित बी.एड. शुल्क के अतिरिक्त अतिरिक्त शुल्क के भुगतान के आधार पर दिया जाएगा।

Paid Seats पर भी विश्वविद्यालय के समान आरक्षण नियम लागू होंगे। हालांकि, Direct एवं Paid दोनों सीटों के लिए विषयवार कोटा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

बी.एड. (दो वर्षीय कार्यक्रम) हेतु पात्रता:

राजीव गांधी विश्वविद्यालय या किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्नलिखित 10+2+3 प्रणाली के अंतर्गत स्नातक डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी पात्र होंगे:

B.A.
B.Sc.
B.Com.
BFA
B.Mus.
BCA
B.Sc. Agriculture/Horticulture

स्नातक में न्यूनतम 50% अंक आवश्यक हैं।

CUET-PG आधारित सीटों को विज्ञान एवं कला वर्ग में वर्गीकृत किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा हेतु विषय कोड की जानकारी के लिए वेबसाइट देखें:

admissions.rgu.ac.in

स्नातकोत्तर एवं तकनीकी योग्यता:

निम्नलिखित अभ्यर्थी भी पात्र होंगे:

M.A./M.Sc./M.Com./MCA/M.Sc. Agriculture/Horticulture में 55% या उससे अधिक अंक।

B.E./B.Tech. (गणित विशेषज्ञता सहित) में न्यूनतम 55% अंक।

विशेष प्रावधान:

राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित (प्रतिनियुक्त) शिक्षक, जिनके पास 10+2+2 पैटर्न की योग्यता है, उन्हें भी बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकता है।

SC, ST एवं OBC (NCL) अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5% की छूट प्रदान की जाएगी।

OBC (NCL) अभ्यर्थियों को वर्तमान कैलेंडर वर्ष का Non-Creamy Layer (NCL) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

सेवारत अभ्यर्थियों हेतु नियम:

Direct एवं Paid Seats पर चयनित अभ्यर्थियों को यह घोषणा-पत्र देना होगा कि वे किसी सेवा में कार्यरत नहीं हैं।

यदि कोई अभ्यर्थी सेवायोजित पाया जाता है, तो उसे अपने नियोक्ता से:

अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)
दो वर्ष के अवकाश की स्वीकृति पत्र
प्रस्तुत करना होगा।
आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करने की स्थिति में प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।

प्रवेश से संबंधित अन्य सभी विवरणों के लिए:

https://rgu.ac.in/
https://admissions.rgu.ac.in/

शारीरिक शिक्षा स्नातक (B.P.Ed.) प्रवेश

प्रवेश प्रक्रिया:B.P.Ed. कार्यक्रम में प्रवेश CUET-PG 2026 के माध्यम से किया जाएगा।

(A) प्रवेश हेतु पात्रता (NCTE मानदंडों के अनुसार):

निम्नलिखित में से कोई एक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे:

1. किसी भी विषय में स्नातक डिग्री में **50% अंक** तथा AIU/IOA/SGFI/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर महाविद्यालय/अंतर क्षेत्रीय/जिला/विद्यालय स्तर की खेल एवं क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में भागीदारी।

अथवा

2. शारीरिक शिक्षा (Physical Education) में स्नातक डिग्री में **45% अंक**।

अथवा

3. किसी भी विषय में स्नातक डिग्री में **45% अंक** तथा शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में अध्ययन किया हो।

अथवा

4. किसी भी विषय में स्नातक डिग्री में **45% अंक** तथा AIU/IOA/SGFI/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/अंतर विश्वविद्यालय/राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भागीदारी अथवा अंतर महाविद्यालय/अंतर क्षेत्रीय/जिला/विद्यालय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

अथवा

5. स्नातक डिग्री के साथ अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी अथवा संबंधित महासंघ/AIU/IOA/SGFI/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

अथवा

6. स्नातक डिग्री में **45% अंक** तथा न्यूनतम **3 वर्ष का शिक्षण अनुभव** (प्रतिनियुक्त/सेवारत अभ्यर्थियों जैसे प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा शिक्षक एवं कोच के लिए)।

(B) शारीरिक दक्षता परीक्षा (RGU परिसर में):

(i) शारीरिक दक्षता (Physical Fitness):

शारीरिक दक्षता के अंक निम्नलिखित गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर प्रदान किए जाएंगे:

- 50 मीटर स्प्रिंट
- स्टैंडिंग ब्रॉड जंप
- मेडिसिन बॉल (ओवर हेड बैक थ्रो)
- 1000 मीटर दौड़/पैदल चाल

प्रदर्शन को विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अंकों में परिवर्तित किया जाएगा।

(ii) खेल एवं क्रीड़ा में दक्षता (Proficiency in Games & Sports):

अभ्यर्थी द्वारा चुने गए किसी एक खेल/क्रीड़ा में कौशल एवं प्रदर्शन के आधार पर समिति द्वारा अंक प्रदान किए जाएंगे।

परीक्षण निम्नलिखित खेलों में किया जाएगा:

- तीरंदाजी (Archery)
- बैडमिंटन
- बॉक्सिंग
- क्रिकेट
- फुटबॉल
- हैंडबॉल
- जूडो
- कबड्डी
- खो-खो
- लॉन टेनिस
- टेबल टेनिस
- ट्रैक एवं फील्ड
- वॉलीबॉल
- भारोत्तोलन (Weight Lifting)

- पावर लिफ्टिंग
- योग

(C) खेल सहभागिता हेतु बोनस अंक (Sports Participation):

वे अभ्यर्थी जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किसी अंतरराष्ट्रीय चैम्पियनशिप में किया हो अथवा पिछले तीन शैक्षणिक सत्रों (जुलाई 2023 से अप्रैल 2026 तक) में संबंधित राष्ट्रीय महासंघ/अखिल भारतीय या अंतर क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता/SGFI राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्थान प्राप्त किया हो, उन्हें निम्न मानदंडों के अनुसार बोनस अंक प्रदान किए जाएंगे:

उपलब्धि	बोनस अंक
IOA/मान्यता प्राप्त महासंघ द्वारा प्रायोजित किसी खेल में भारत का प्रतिनिधित्व	10 अंक
सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संघ/महासंघ द्वारा आयोजित अंतर-राज्यीय प्रतियोगिता में स्थान	
प्रथम स्थान	10 अंक
द्वितीय स्थान	9 अंक
तृतीय स्थान	8 अंक
अखिल भारतीय/अंतर क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालय/जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता (मान्यता प्राप्त संघ/महासंघ द्वारा आयोजित) में स्थान	
प्रथम स्थान	8 अंक
द्वितीय स्थान	7 अंक
तृतीय स्थान	6 अंक
SGFI राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्थान	
प्रथम स्थान	6 अंक
द्वितीय स्थान	5 अंक
तृतीय स्थान	4 अंक

(D) चिकित्सा परीक्षण (Medical Test):

चूंकि यह पाठ्यक्रम गहन शारीरिक प्रशिक्षण पर आधारित है, इसलिए चयनित अभ्यर्थियों का प्रवेश विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र द्वारा किए गए चिकित्सा परीक्षण में सफल पाए जाने के बाद ही अंतिम रूप से मान्य होगा।

चिकित्सा परीक्षण में शारीरिक जांच के साथ-साथ प्रयोगशाला परीक्षण जैसे **HSAG** आदि शामिल होंगे।

(E) छात्रावास एवं अनुपस्थिति (Hostel and Absenteeism):

- सभी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास में रहना अनिवार्य होगा।
- सैद्धांतिक एवं गतिविधि आधारित कक्षाओं में अनुपस्थिति को अनुशासनात्मक कार्रवाई के अंतर्गत लिया जाएगा।

छात्रावास प्रबंधन (HOSTEL MANAGEMENT)

विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए कुल **15 (पंद्रह) छात्रावास/आवासीय हॉल** संचालित किए जाते हैं, जिनमें **7 पुरुषों के लिए, 7 महिलाओं के लिए एवं 1 सामान्य छात्रावास** शामिल है। इन छात्रावासों में कुल **1480 विद्यार्थियों** के रहने की क्षमता है। छात्रावासों में सामान्य कक्ष (Common Room), टीवी एवं इनडोर खेल जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

छात्रावासों के निवासी विद्यार्थी सहकारी आधार पर स्वयं अपने मेस का संचालन करते हैं। प्रत्येक छात्रावास का प्रबंधन एक **वार्डन (Warden)** द्वारा किया जाता है। प्रत्येक छात्रावास में एक **छात्र प्रीफेक्ट (Student Prefect)** भी नियुक्त किया जाता है।

छात्रावासों में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित **आरक्षण एवं मेरिट प्रणाली** के अनुसार किया जाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं शीतकालीन अवकाश के दौरान छात्रावासों के नियमित रखरखाव हेतु विद्यार्थियों को छात्रावास खाली करना होगा।

B.Ed. विद्यार्थियों, नियमित विद्यार्थियों एवं पीएच.डी. शोधार्थियों के लिए अलग-अलग छात्रावासों में मेरिट के आधार पर आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

छात्रावासों के सुव्यवस्थित संचालन एवं अनुशासन हेतु समिति:

छात्रावासों के अनुशासित प्रबंधन एवं सुचारु संचालन हेतु निम्नलिखित सदस्यों की समिति गठित की जाती है:

1. कुलसचिव (Registrar)
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण (Dean, Students Welfare)
3. मुख्य छात्रावास अधीक्षक (Chief Hostel Warden)
4. छात्रावास वार्डन (Hostel Wardens)
5. उप छात्रावास वार्डन (Deputy Hostel Wardens)

शिकायत निवारण प्रणाली:

- भोजन, स्वच्छता एवं सफाई से संबंधित शिकायतें छात्रावास वार्डन को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- सामान्य प्रकृति की शिकायतें उप छात्रावास वार्डन को दी जा सकती हैं।
- मुख्य छात्रावास वार्डन एवं उप छात्रावास वार्डन शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई करेंगे।
- सभी सामान्य शिकायतों का निवारण एक दिन के भीतर किया जाना अपेक्षित है।
- गंभीर शिकायतों का निवारण मुख्य वार्डन द्वारा दो कार्य दिवसों के भीतर किया जाएगा।
- विशेष रूप से महिला छात्रावासों से संबंधित सुरक्षा मामलों का निपटारा निर्धारित कार्य दिवसों के भीतर किया जाएगा।
- किसी भी छात्रावास में सुरक्षा संबंधी शिकायतों के समाधान हेतु मुख्य छात्रावास वार्डन, छात्र कल्याण अधिष्ठाता (DSW) एवं वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी के सहयोग से कार्य करेंगे। इसकी जानकारी कुलसचिव को दी जाएगी।

छात्र सलाहकार समिति (STUDENTS ADVISORY COMMITTEE)

छात्र सलाहकार समिति का गठन **राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 के पृष्ठ 39 पर उल्लिखित RGU Statutes No. 23(1)** के अंतर्गत किया जाएगा। समिति का गठन सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति एवं समय-समय पर MHRD/UGC अथवा संबंधित मंत्रालय के निर्देशों एवं संशोधनों के अनुसार कुलसचिव द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

समिति में एक **अध्यक्ष (Chairperson)**, एक **सदस्य सचिव (Member Secretary)** तथा आवश्यकता के अनुसार अन्य सदस्य होंगे। कुलपति को समिति के गठन में परिवर्तन करने का अधिकार होगा। कुलपति, प्रति-कुलपति एवं कुलसचिव के परामर्श से समिति के सदस्यों की संख्या निर्धारित करेंगे। समिति में न्यूनतम **5 सदस्य** होंगे।

समिति के कार्य:

1. विद्यार्थियों की अपेक्षाओं का अध्ययन करना तथा छात्र कल्याण संबंधी उपायों एवं पाठ्यक्रम/सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में सुधार हेतु सुझाव देना।
2. विद्यार्थियों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक कदमों की अनुशंसा करना।
3. विद्यार्थियों को करियर निर्माण हेतु विभिन्न योजनाओं, कोचिंग एवं प्लेसमेंट अवसरों के बारे में जागरूक एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।
4. विश्वविद्यालय पूर्व छात्र संघ (Alumni Association) एवं उसकी गतिविधियों का विकास एवं प्रबंधन करना।
5. प्रत्येक तिमाही में कुलसचिव को "**कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report)**" प्रस्तुत करना।

एंटी-रैगिंग समिति (ANTI-RAGGING COMMITTEE)

एंटी-रैगिंग समिति का गठन **RGU Statutes No. 23(1)** के अंतर्गत किया जाएगा। समिति का गठन सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति एवं MHRD/UGC अथवा संबंधित मंत्रालय के समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार कुलसचिव द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

समिति में एक **अध्यक्ष (Chairperson)**, एक **सदस्य सचिव (Member Secretary)** (दोनों प्रोफेसर स्तर के) तथा अन्य सदस्य होंगे, जिनमें छात्र कल्याण अधिष्ठाता (DSW) एवं मुख्य छात्रावास वार्डन शामिल होंगे।

एंटी-रैगिंग समिति का नामांकन कुलपति द्वारा किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित प्रतिनिधि शामिल होंगे:

- प्रशासन एवं पुलिस विभाग के प्रतिनिधि
- स्थानीय मीडिया प्रतिनिधि
- युवा गतिविधियों से जुड़े गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि

- संकाय सदस्यों के प्रतिनिधि
- अभिभावकों के प्रतिनिधि
- नवप्रवेशित विद्यार्थियों के प्रतिनिधि
- वरिष्ठ विद्यार्थियों के प्रतिनिधि
- गैर-शिक्षण कर्मचारियों के प्रतिनिधि

समिति में विभिन्न स्तरों एवं लिंग प्रतिनिधित्व का संतुलित मिश्रण सुनिश्चित किया जाएगा।

समिति के कार्य:

1. रैगिंग की घटनाओं पर निगरानी रखना एवं उन्हें रोकना तथा परिसर को रैगिंग मुक्त बनाना।
2. विद्यार्थियों को रैगिंग के दुष्प्रभाव एवं उससे संबंधित दंड के बारे में विभिन्न माध्यमों से जागरूक करना।
3. कुलपति द्वारा गठित **एंटी-रैगिंग स्क्वाड** समिति के अंतर्गत कार्य करेगा, जो निगरानी, निरीक्षण एवं गश्त का कार्य करेगा।
4. एंटी-रैगिंग स्क्वाड प्रथम तीन महीनों के दौरान प्रत्येक पखवाड़े छात्रावासों में आकस्मिक निरीक्षण एवं नवप्रवेशित विद्यार्थियों से गोपनीय सर्वेक्षण करेगा।
5. प्रत्येक तिमाही में कुलसचिव को "**कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report)**" प्रस्तुत करना।

एंटी-रैगिंग एवं शिकायत निवारण हेतु वेबसाइट/सहायता प्रणाली

UGC एंटी-रैगिंग सेल (Anti-Ragging Cell)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा एंटी-रैगिंग सहायता हेतु टोल-फ्री हेल्पलाइन **1800-180-5522** स्थापित की गई है, जो 12 भाषाओं में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त ई-मेल सहायता सुविधा **helpline@antiragging.in** भी उपलब्ध है।

यह सेल समर्पित कॉल सेंटर एवं एंटी-रैगिंग सेल के माध्यम से पीड़ितों की सहायता करता है तथा संबंधित मामलों में समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करता है।

UGC, शिक्षा मंत्रालय एवं निगरानी एजेंसियों के सहयोग से मामलों की निगरानी करता है ताकि पीड़ितों की संतुष्टि सुनिश्चित की जा सके।

UGC द्वारा समय-समय पर शैक्षणिक संस्थानों एवं राज्य शिक्षा विभागों को एंटी-रैगिंग संबंधी दिशा-निर्देश एवं परिपत्र जारी किए जाते हैं।

एंटी-रैगिंग सेल निम्नलिखित कार्यों का भी संचालन करता है:

- RTI संबंधी कार्य
- जन शिकायत निवारण
- कानूनी मामलों का समन्वय
- अंतर-परिषद समन्वय
- एंटी-रैगिंग जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन

विश्वविद्यालय परिसर को सुरक्षित, अनुशासित एवं रैगिंग मुक्त बनाए रखने हेतु एंटी-रैगिंग नीति का कड़ाई से पालन किया जाता है।

https://www.antiragging.in/

https://rgu.ac.in/cell/internal-complaints-committee

एंटी-रैगिंग फॉर्म

https://www.antiragging.in/affidavit_affiliated_form.php

एंटी-रैगिंग शिकायत प्रपत्र

https://www.antiragging.in/complaint_register_form.html

निकटतम पुलिस स्टेशन (Nearest Police Station)

पुलिस स्टेशन: दोईमुख पुलिस स्टेशन (Doimukh Police Station)

पता:
यूनिवर्सिटी रोड, दोईमुख,
अरुणाचल प्रदेश – 791112

फोन नंबर: 0360-227722

पुलिस अधीक्षक (SP):
श्री तारू गुसार (IPS)

लोक शिकायत प्रकोष्ठ (PUBLIC GRIEVANCE CELL)

विश्वविद्यालय अपने सुदृढ़ लोक शिकायत प्रकोष्ठ (Public Grievance Cell) के माध्यम से विभिन्न हितधारकों एवं आम जनता से प्राप्त शिकायतों की निगरानी एवं उनका समाधान करता है।
विश्वविद्यालय का शिकायत निवारण प्रकोष्ठ केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System - CPGRAMS) के अंतर्गत कार्य करता है।

यह एक ऑनलाइन वेब-आधारित प्रणाली है, जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा NICNET के माध्यम से प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG), भारत सरकार के सहयोग से विकसित किया गया है।

इस प्रणाली का उद्देश्य भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा प्राप्त शिकायतों का त्वरित निवारण एवं प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना है।

https://rgu.ac.in/students-grievances-redressal-cell/
https://rgu.ac.in/cell/internal-complaints-committee

लोकपाल (OMBUDSMAN)

लोकपाल (Ombudsman) एक **गोपनीय, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र व्यवस्था** है, जो विश्वविद्यालय की नीतियों, प्रक्रियाओं अथवा आचरण से संबंधित चिंताओं, शिकायतों एवं प्रश्नों के समाधान में विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सहायता हेतु समर्पित है।

लोकपाल एक तटस्थ पक्ष के रूप में कार्य करते हुए ऐसे सुरक्षित एवं निजी वातावरण की सुविधा प्रदान करता है, जहाँ व्यक्ति बिना किसी प्रतिशोध के भय के अपनी समस्याएँ एवं चिंताएँ व्यक्त कर सकते हैं।

लोकपाल निम्नलिखित कार्यों में सहायता करता है:

- संबंधित पक्षों के बीच संवाद स्थापित करने में सहयोग करना।
- विवादों एवं मतभेदों के समाधान हेतु मध्यस्थता करना।
- विश्वविद्यालय प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध विकल्पों के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करना।
- बार-बार उत्पन्न होने वाली अथवा प्रणालीगत समस्याओं की पहचान करना तथा उन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन के संज्ञान में लाना, जिससे आवश्यक नीतिगत सुधार किए जा सकें।

लोकपाल विश्वविद्यालय में **निष्पक्षता, जवाबदेही एवं विश्वास की संस्कृति** को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा संपूर्ण शैक्षणिक समुदाय के लिए बेहतर अध्ययन एवं कार्य वातावरण विकसित करने में योगदान देता है।

लोकपाल (Ombudsman): प्रो. के. एस. आर. राव (Prof. K.S.R. Rao)

ई-मेल आईडी: ombudsman.sgrc@rgu.ac.in

<u>राजीव गांधी विश्वविद्यालय द्वारा समयबद्ध अवधि में प्रदान की जाने वाली सेवाएँ</u>

विद्यार्थी:

क्र. सं.	**सेवा (Service)**	**अधिकृत अधिकारी (Authorized Officer)**	**समय अवधि (Time Duration)**
1	प्रवासन प्रमाण पत्र (नया/डुप्लीकेट) **(Migration Certificate - New/Duplicate)**	सहायक कुलसचिव (पंजीकरण) **Assistant Registrar (Registration)**	5 कार्य दिवस
2	मूल अंक पत्र **(Original Mark Sheet)**	परीक्षा नियंत्रक **Controller of Examination**	ऑनलाइन आवेदन के 5 कार्य दिवस के भीतर

3	मूल डिग्री प्रमाण पत्र **(Original Degree Certificate)**	परीक्षा नियंत्रक **Controller of Examination**	5 कार्य दिवस
4	सावधानी राशि वापसी **(Caution Money Return)**	सहायक कुलसचिव (वित्त) **Assistant Registrar (Finance)**	आवेदन प्राप्त होने के 10 कार्य दिवस के भीतर
5	छात्रवृत्ति **(Scholarships)**	सहायक कुलसचिव (वित्त) **Assistant Registrar (Finance)**	संबंधित शाखा से आदेश प्राप्त होने के 4 कार्य दिवस के भीतर

टिप्पणी (NB):

निर्धारित समय-सीमा सामान्य प्रकृति के निर्णयों के लिए है। निर्णयों के महत्व एवं संबंधित विषयों/मामलों की जटिलता के अनुसार यह समय-सीमा परिवर्तित हो सकती है।

कर्मचारी:

क्र. सं.	**सेवा (Service)**	**अधिकृत अधिकारी (Authorized Officer)**	**समय अवधि (Time Duration)**
1	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (Medical Reimbursement)	सहायक कुलसचिव (वित्त) **Assistant Registrar (Finance)**	आवेदन प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर
2	अन्य विश्वविद्यालयों/संगठनों/विभागों में आवेदन हेतु अग्रेषण (Application forwarding for applying to other Universities/Organizations/Departments)	कुलसचिव **Registrar**	आवेदन प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर
3	गृह निर्माण अग्रिम/CPF अग्रिम (House Building Advance/CPF Advance)	वित्त अधिकारी **Finance Officer**	10 दिन
4	बच्चों की शिक्षा भत्ता (Children Education Allowance)	कुलसचिव **Registrar**	10 दिन
5	यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता/अवकाश यात्रा रियायत (TA/DA/LTC)	कुलसचिव **Registrar**	10 दिन

टिप्पणी (NB):

निर्धारित समय-सीमा सामान्य प्रकृति के निर्णयों के लिए है। निर्णयों के महत्व एवं संबंधित मामलों/विषयों की प्रकृति के आधार पर यह समय-सीमा परिवर्तित हो सकती है।

जन-संबंधित प्रकोष्ठ

i) सामुदायिक विकास प्रकोष्ठ (Community Development Cell):

राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने विभिन्न विभागों एवं केंद्रों द्वारा संचालित सामुदायिक सहभागिता संबंधी गतिविधियों के समन्वय एवं एकीकरण के उद्देश्य से **सामुदायिक विकास प्रकोष्ठ** की स्थापना की है। इस प्रकोष्ठ ने **उन्नत भारत अभियान** के अंतर्गत पोमा (Poma), दिसी (Disi), लाज़ू (Lazu), लाछुम (Lachum), पातेय (Patey) तथा चिपुता (Chiputa) सहित पाँच गाँवों को गोद लिया है। गोद लिए गए इन गाँवों के समुदायों की आजीविका में सुधार हेतु प्रकोष्ठ द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। समय-समय पर वृक्षारोपण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिनमें विशेष रूप से फलदार वृक्षों के रोपण पर बल दिया जाता है ताकि ग्रामीणों की

आय में वृद्धि हो सके। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ**, वित्तीय साक्षरता अभियान आदि विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम भी समुदाय के हित में आयोजित किए जाते हैं।

ii) विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी पार्क (University Technology Park):

विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी पार्क (पूर्व में **महिला प्रौद्योगिकी पार्क**) का उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान करना तथा उनके कौशल का विकास करना है। सामुदायिक सहभागिता संबंधी कार्यों के लिए **नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट्स (NCRI)** के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) भी संपादित किया गया है। इसी प्रकार ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्यरत अन्य संस्थानों एवं संगठनों के साथ भी सहयोगात्मक कार्यप्रणाली विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

iii) बाल वाटिका एवं डे-केयर सुविधा (Bal Vatika and Day Care Facility):

सभी वर्गों के लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम प्रवेश शुल्क पर एक पूर्व-प्राथमिक विद्यालय (बाल वाटिका) संचालित किया जाता है। साथ ही विश्वविद्यालय परिसर एवं उसके आसपास कार्यरत अभिभावकों, शोधार्थियों, अतिथियों तथा स्थानीय समुदाय के कार्यरत अभिभावकों के बच्चों के लिए डे-केयर (दिवसीय देखभाल) सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।

iv) राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (Govt. Higher Secondary School):

राजीव गांधी विश्वविद्यालय की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि विश्वविद्यालय परिसर में एक **राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय** स्थित है, जो परिसर के आसपास के लगभग 9 से 10 गाँवों के विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ-साथ जनसेवा भी प्रदान करता है।

v) विश्वविद्यालय पूर्व छात्र संघ (Alumni Association of the University):

विश्वविद्यालय अपने विशाल पूर्व छात्र समुदाय (Alumni) पर गर्व करता है तथा इसके लिए एक **पूर्व छात्र संघ** स्थापित है। विश्वविद्यालय के सभी पूर्व छात्र, वर्तमान कर्मचारी एवं संकाय सदस्य इसके सदस्य एवं सहयोगी सदस्य हैं। यह संघ सामाजिक कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों का आयोजन करता है तथा शैक्षणिक प्रकाशनों का भी संचालन करता है। इसके माध्यम से पूर्व छात्रों को अपने मातृ संस्थान से जुड़े रहने हेतु विभिन्न सुविधाएँ एवं सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। विशेष रूप से प्रवेश प्रक्रिया के दौरान हेल्प डेस्क आदि के माध्यम से नए विद्यार्थियों को सहयोग प्रदान किया जाता है।

vi) बैंक एवं डाकघर (Bank & Post Office):

विश्वविद्यालय समुदाय की बैंकिंग आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रशासनिक भवन में **बैंक ऑफ बड़ौदा** की एक शाखा एटीएम सुविधा सहित संचालित है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय परिसर में स्पीड पोस्ट सुविधा सहित एक **ईडीबीपीओ (उप डाकघर)** भी कार्यरत है। परिसर में **भारतीय स्टेट बैंक (SBI)** का एक एटीएम भी स्थापित है।

vii) बॉक्सिंग अकादमी (Boxing Academy):

विश्वविद्यालय परिसर तथा आसपास के क्षेत्र के उभरते मुक्केबाज़ों के लिए विश्वविद्यालय एक **बॉक्सिंग अकादमी** का संचालन करता है। यह अकादमी प्रतिभाओं की खोज एवं उनके समुचित प्रशिक्षण तथा विकास के लिए समर्पित है।

viii) कैंटीन एवं सहकारी भंडार (Canteen & Co-operative Store):

विश्वविद्यालय समुदाय की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु परिसर में एक केंद्रीय कैंटीन, चाय स्टॉल, कैफेटेरिया, सहकारी भंडार, पुस्तक स्टॉल, औषधालय (फार्मेसी), स्टेशनरी एवं किराना दुकानें तथा एक सैलून उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त परिसर में फोटोकॉपी की सुविधा भी उपलब्ध है।

ix) करियर परामर्श प्रकोष्ठ (Career Counselling Cell):

यूजीसी की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वर्ष 2011 में स्थापित यह प्रकोष्ठ विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, सॉफ्ट स्किल्स एवं संप्रेषण कौशल के विकास हेतु सहयोग प्रदान करता है, जिससे वे प्रतियोगी परीक्षाओं की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकें। यह

प्रकोष्ठ ऐड-ऑन एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराता है। यह प्रकोष्ठ **SEBI** एवं **NSEIL, कोलकाता** के सहयोग से कार्य करता है।

x) महाविद्यालय विकास परिषद (College Development Council):

महाविद्यालय विकास परिषद विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों को नेतृत्व, सहायता, मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान करती है। संबद्धता से संबंधित सभी मामलों में यह परिषद कार्यकारी परिषद तथा शैक्षणिक परिषद की प्रमुख सलाहकार संस्था है। परिषद में विश्वविद्यालय के अधिकारियों, संकाय सदस्यों, राज्य सरकार के प्रतिनिधि, संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं शिक्षकों को सम्मिलित किया गया है। यह परिषद संबद्ध महाविद्यालयों के शैक्षिक स्तर में निरंतर सुधार हेतु आवश्यक उपायों पर विचार-विमर्श का मंच उपलब्ध कराती है। साथ ही यह विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु महाविद्यालयों के प्रस्ताव अग्रेषित करने का कार्य भी करती है।

xi) सामुदायिक महाविद्यालय (Community College):

राजीव गांधी विश्वविद्यालय का **सामुदायिक महाविद्यालय** वर्ष 2015 में द्वादश पंचवर्षीय योजना की अनुशंसाओं के अनुरूप स्थापित किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा उच्च शिक्षा में कौशल-आधारित कार्यक्रमों के विस्तार तथा रोजगारोन्मुख एवं कौशल-आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सामुदायिक महाविद्यालय स्थापित करने की अभिनव योजना प्रारम्भ की गई। वर्तमान में सामुदायिक महाविद्यालय, राजीव गांधी विश्वविद्यालय द्वारा **कंप्यूटरीकृत लेखांकन (Computerized Accounting)** में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

xii) सामुदायिक पेयजल केंद्र (Community Drinking Water Centre):

समुदाय को मात्र **₹1 प्रति लीटर** की दर से स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सामुदायिक पेयजल केंद्र संचालित किया जाता है।

xiii) एडुसैट केंद्र (राष्ट्रीय नेटवर्क) [EDUSAT Centre (National Network)]:

स्थापना वर्ष: 2005
प्रायोजक संस्था: यूजीसी–सीईसी (UGC-CEC)
स्थान: भूगोल विभाग

इस केंद्र के माध्यम से सीईसी द्वारा मल्टीकास्ट प्रणाली के जरिए विकास अध्ययन, जनसंचार, करियर परामर्श, हिंदी, स्वास्थ्य, पर्यावरण अध्ययन, अर्थशास्त्र, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, समाजशास्त्र, जनसंपर्क, शिक्षा, राजनीति विज्ञान तथा भूगोल सहित विभिन्न विषयों की नियमित कक्षाओं का प्रसारण किया जाता है, जिन्हें विश्वविद्यालय के कैंपस LAN के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। महत्वपूर्ण व्याख्यानों को EDUSAT सर्वर में अभिलेखीय सामग्री के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। इन कार्यक्रमों का प्रसारण डीटीएच (डिश टीवी चैनल 772) के माध्यम से भी किया जाता है। दो-तरफा संवाद की सुविधा हेतु शिक्षण प्रणाली को उन्नत मीडिया क्षमता एवं Train Net सॉफ्टवेयर से सुसज्जित किया गया है। इसके अतिरिक्त **इसरो (ISRO)** के सहयोग से विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय EDUSAT नेटवर्क भी स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से DECU, ISRO द्वारा तैयार शैक्षिक कार्यक्रमों का नियमित प्रसारण किया जाता है।

xiv) स्वास्थ्य केंद्र (Health Centre):

विश्वविद्यालय में चार बिस्तरों वाला एक स्वास्थ्य केंद्र कार्यरत है, जिसमें दो अनुभवी चिकित्साधिकारी, तीन नर्सें, तकनीशियन तथा एक फार्मासिस्ट नियुक्त हैं। निकट भविष्य में इसे आधुनिक चिकित्सा उपकरणों एवं सुविधाओं से युक्त 14-बिस्तरीय स्वास्थ्य केंद्र में उन्नत किया जाएगा। किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है।

xv) नवाचार केंद्र (Innovative Centre):

विश्वविद्यालय में नवाचार केंद्र की स्थापना विश्वविद्यालय समुदाय के समग्र आर्थिक, सामाजिक एवं शारीरिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई है। यह केंद्र व्यक्तियों की प्रतिभा एवं कौशल की पहचान कर उन्हें जागरूकता एवं कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित करता है। केंद्र में मशरूम उत्पादन, सब्जी की खेती तथा बुनाई जैसे आर्थिक रूप से लाभकारी कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

xvi) दूरस्थ शिक्षा संस्थान (Institute of Distance Education - IDE):

उच्च शिक्षा को सभी के लिए सुलभ एवं साकार बनाने के उद्देश्य से राजीव गांधी विश्वविद्यालय स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर दूरस्थ शिक्षा परिषद (Distance Education Council-DEC), नई दिल्ली द्वारा विधिवत् मान्यता एवं अनुमोदित दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम संचालित कर रहा है। वर्ष 2005-06 में अर्थशास्त्र, शिक्षा, अंग्रेज़ी, इतिहास एवं राजनीति विज्ञान विषयों में बी.ए. कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए। इसके पश्चात हिन्दी, समाजशास्त्र एवं जनजातीय अध्ययन विषयों के साथ-साथ दो प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम— **"मत्स्य प्रौद्योगिकी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम"** तथा **"संचार हेतु अंग्रेज़ी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम"** भी प्रारम्भ किए गए। शिक्षा, अंग्रेज़ी, हिन्दी, राजनीति विज्ञान एवं इतिहास विषयों में एम.ए. कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं।

हाल के वर्षों में दूरस्थ शिक्षा संस्थान (IDE) ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) आधारित दूरस्थ शिक्षण को अपनाया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य राज्य के युवाओं को व्यावसायिक एवं उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है। संस्थान में स्मार्ट क्लास से सुसज्जित अत्याधुनिक सम्मेलन कक्ष उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्वीकृत **"महिला प्रौद्योगिकी पार्क"** का संचालन भी संस्थान द्वारा किया जा रहा है, जिसे व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। वर्तमान में यहाँ जैविक सब्जी उत्पादन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन तथा वर्मी कम्पोस्ट निर्माण जैसी गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं।

xvii) राष्ट्रीय सेवा योजना (National Service Scheme - NSS):

राजीव गांधी विश्वविद्यालय अपनी राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) इकाई के माध्यम से सामुदायिक सेवा द्वारा व्यक्तित्व विकास के व्यापक उद्देश्य के साथ विभिन्न सामुदायिक विकास कार्यक्रम संचालित करता है। प्रत्येक वर्ष एनएसएस में नामांकित स्वयंसेवकों को अभिमुखीकरण (Orientation) कार्यक्रम प्रदान किया जाता है तथा समय-समय पर वृक्षारोपण, रक्तदान शिविर, परिसर स्वच्छता अभियान आदि नियमित गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। गोद लिए गए गाँवों में विशेष एनएसएस कार्यक्रम एवं साहसिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। हाल ही में **"राष्ट्रीय सेवा योजना एवं युवा विकास"** विषय को मुक्त वैकल्पिक (Open Elective) पाठ्यक्रम के रूप में प्रारम्भ किया गया है।

xviii) शारीरिक शिक्षा शाखा (Physical Education Branch):

विद्यार्थियों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास हेतु वर्ष 1999 में शारीरिक शिक्षा शाखा की स्थापना की गई। यह शाखा खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों, युवा कल्याण एवं छात्र संघ संबंधी कार्यक्रमों का संचालन एवं आयोजन करती है। शाखा के अंतर्गत उपलब्ध आधारभूत खेल सुविधाएँ एवं उपकरण निम्नलिखित हैं—

- अंतरराष्ट्रीय मानक आकार का फुटबॉल मैदान सह ट्रैक एवं फील्ड : **03**
- वॉलीबॉल कोर्ट : **03**
- बास्केटबॉल कोर्ट : **01**
- बैडमिंटन कोर्ट : **05**
- बहुउद्देशीय सभागार : **02**

xix) सूचना का अधिकार (RTI) प्रकोष्ठ:

विश्वविद्यालय में सूचना का अधिकार (RTI) प्रकोष्ठ कार्यरत है, जिसमें कुलसचिव (Registrar) अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। प्रकोष्ठ में एक नोडल अधिकारी, एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) तथा एक सहायक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (Assistant CPIO) नियुक्त हैं, जो आरटीआई आवेदनों के समयबद्ध निस्तारण का कार्य करते हैं।

xx) विश्वविद्यालय पुस्तकालय (University Library):

विश्वविद्यालय का केंद्रीय पुस्तकालय वर्ष 1998 से अपने स्वतंत्र भवन में संचालित हो रहा है। वर्तमान में पुस्तकालय में कुल **63,576** पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिनमें लगभग **3,000 संदर्भ पुस्तकें** तथा लगभग **2,000 उपहार स्वरूप प्राप्त पुस्तकें** सम्मिलित हैं।

पुस्तकालय 14 स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्रों तथा 15 पत्रिकाओं की सदस्यता रखता है। इसके अतिरिक्त 15 अंतरराष्ट्रीय एवं 75 राष्ट्रीय मुद्रित शोध-पत्रिकाओं का भी नियमित रूप से अभिदान किया जाता है।

विश्वविद्यालय पुस्तकालय **डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क (DELNET), नई दिल्ली** का संस्थागत सदस्य है, जो दक्षिण एशिया के प्रमुख डिजिटल पुस्तकालय संसाधनों में से एक है। विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं शिक्षकों के लिए इंटरनेट ब्राउज़िंग की पृथक सुविधा उपलब्ध है। उपयोगकर्ता **शोध सिंधु (Shodh Sindhu) लाइब्रेरी कंसोर्टियम** तथा **DELNET** के माध्यम से 9,000 से अधिक पूर्ण-पाठ (Full Text) ई-जर्नलों तक ऑनलाइन पहुँच प्राप्त कर सकते हैं।

ऑनलाइन सार्वजनिक अभिगम सूची (OPAC) सुविधा IP **10.1.0.201** के माध्यम से उपलब्ध है। पुस्तकालय में पाठ्य-पुस्तकों, नवीन पत्र-पत्रिकाओं, **195 शोध-प्रबंध (Dissertations)** एवं **244 शोध-थीसिस (Theses)** के लिए पृथक अनुभाग उपलब्ध हैं तथा इनका डिजिटल डेटाबेस भी संधारित किया जाता है।

स्मार्ट कार्ड आधारित RFID प्रणाली के माध्यम से कियोस्क से पुस्तक निर्गमन एवं वापसी की सुविधा उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक शोध-प्रबंध एवं शोध-निबंध (ETD), अरुणाचल प्रदेश से संबंधित डिजिटीकृत दुर्लभ पुस्तकें तथा ई-पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। पुस्तकालय समय-समय पर पुस्तकालय स्वचालन, उपयोगकर्ता शिक्षा तथा अन्य पुस्तकालय विज्ञान विषयों पर कार्यशालाएँ, प्रशिक्षण एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करता है। पुस्तकालय प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः **9:00 बजे से सायं 7:00 बजे** तक खुला रहता है।

xxi) परिवहन सुविधा (Transport Facilities):

विश्वविद्यालय विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के लिए रियायती दरों पर परिसर से **निर्जुली, नाहरलागुन एवं ईटानगर** तक पर्याप्त बस सेवाएँ उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग 52-ए स्थित निर्जुली के **NERIST Point** तक नियमित बस सेवा संचालित की जाती है, जहाँ से सार्वजनिक परिवहन की सुविधा आसानी से उपलब्ध है।

xxii) विश्वविद्यालय-उद्योग समन्वय प्रकोष्ठ (University Industry Interface Cell - UIIC):

वर्ष 2014 में स्थापित यह प्रकोष्ठ सम्पूर्ण उत्तर-पूर्व भारत में अपनी प्रकार का प्रथम प्रकोष्ठ है तथा इसका संचालन प्रबंधन विभाग द्वारा किया जाता है। यह प्रकोष्ठ उद्योगों एवं विश्वविद्यालय समुदाय के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित करने तथा उद्योग-जगत को विश्वविद्यालय के निकट लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

xxiii) वी-सैट सुविधा (V-SAT Facility):

वर्ष 2000 में स्थापित वी-सैट (VSAT) सुविधा अपनी स्थापना के समय से ही सेवाओं का निरंतर उन्नयन करते हुए विश्वविद्यालय को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सेवाएँ प्रदान कर रही है। विश्वविद्यालय की एक अत्यावश्यक सेवा के रूप में इंटरनेट सुविधा का संचालन, अनुरक्षण एवं निगरानी इसी इकाई द्वारा की जाती है।

विश्वविद्यालय का **कैंपस-वाइड लोकल एरिया नेटवर्क (Campus-wide Local Area Network – CLAN)**, जो विश्वविद्यालय के भीतर एवं बाहर संसाधनों के आदान-प्रदान तथा सूचना के निर्बाध प्रवाह हेतु मूलभूत अवसंरचना है, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं के विस्तार के साथ निरंतर विकसित किया जा रहा है।

राजीव गांधी विश्वविद्यालय **नेशनल नॉलेज नेटवर्क (National Knowledge Network – NKN)** का सदस्य संस्थान है। यह देश के सभी ज्ञान-आधारित संस्थानों को एकीकृत उच्च गति नेटवर्क बैकबोन उपलब्ध कराने वाला अत्याधुनिक मल्टी-गीगाबिट राष्ट्रीय नेटवर्क है। विश्वविद्यालय द्वारा **NKN की 1 Gbps कनेक्टिविटी** के संचालन हेतु आवश्यक कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके माध्यम से विश्वविद्यालय भविष्य में सामग्री (Content) निर्माण एवं संसाधनों के आदान-प्रदान में सक्रिय भागीदारी करेगा, जिससे विश्वविद्यालय के ज्ञान संसाधनों को राष्ट्रीय स्तर पर साझा करने का अवसर प्राप्त होगा।

विश्वविद्यालय **DeLCON** तथा **INFLIBNET** जैसे कंसोर्टियम का सदस्य होने के कारण विश्व-स्तरीय अनेक ई-जर्नलों तक पहुँच की सुविधा प्राप्त करता है। वी-सैट सुविधा के अंतर्गत शीघ्र ही ई-गवर्नेंस पहल के अंतर्गत ई-मेल एवं मैसेजिंग सेवाएँ, वायरलेस हॉटस्पॉट, एप्लिकेशन रिपॉजिटरी तथा अन्य इंट्रानेट सेवाएँ भी प्रारम्भ की जाएँगी।

वी-सैट सुविधा, **ERNET India, नई दिल्ली** द्वारा प्रदत्त **2 Mbps लीज्ड लाइन** तथा **1 Mbps DAMA VSAT लिंक** के माध्यम से इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराती है। दोनों लिंक एक-दूसरे के पूरक हैं, जिससे किसी एक लिंक के बाधित होने की स्थिति में भी विश्वविद्यालय समुदाय को **24×7 इंटरनेट सुविधा** उपलब्ध रहती है।

इसके अतिरिक्त **नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC), ईटानगर** द्वारा **BSNL की लीज्ड लाइन** के माध्यम से **NKN के अंतर्गत 1 Gbps इंटरनेट कनेक्टिविटी** विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराई जा चुकी है।

---

xxiv) महिला अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र (Women Studies and Research Centre – WS&RC):

महिला अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना **5 सितम्बर, 2009** को यूजीसी की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एक स्वतंत्र बहुविषयक (Multi-disciplinary) केंद्र के रूप में की गई। यह केंद्र अनुसंधान गतिविधियों, संगोष्ठियों, सेमिनारों, जागरूकता शिविरों तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का नियमित रूप से आयोजन करता है।

---

xxv) केंद्रीय उपकरण सुविधा (Central Instrumental Facility – CIF):

उच्च स्तरीय वैज्ञानिक उपकरणों की स्थापना हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने में व्यक्तिगत शोधकर्ताओं को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने वर्ष **2022** में **केंद्रीय उपकरण सुविधा (Central Instrumental Facility – CIF)** की स्थापना की। यह सुविधा विभिन्न विषयों में उन्नत अनुसंधान एवं वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए अत्याधुनिक मंच के रूप में कार्य करती है।

यह सुविधा **HPLC, GC-MS, FTIR, UV-Visible Spectrophotometer, Atomic Absorption Spectroscopy (AAS)** तथा अन्य उच्च-परिशुद्धता विश्लेषणात्मक उपकरणों से सुसज्जित है। इसके माध्यम से मूलभूत, अनुप्रयुक्त, जीवन एवं पर्यावरण विज्ञान सहित विभिन्न विषयों में अंतर्विषयक अनुसंधान को प्रोत्साहन प्राप्त होता है।

केंद्रीय उपकरण सुविधा संकाय सदस्यों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों को अत्याधुनिक उपकरणों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान की सुविधा प्रदान कर शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देती है। यह जटिल नमूनों के सटीक विश्लेषण, अभिलक्षणन (Characterization) एवं मात्रात्मक निर्धारण (Quantification) द्वारा अनुसंधान की गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि करती है।

इस सुविधा का संचालन प्रशिक्षित तकनीकी विशेषज्ञों की टीम द्वारा मानकीकृत कार्यप्रणालियों के अनुरूप किया जाता है, जिससे परिणामों की विश्वसनीयता एवं पुनरुत्पादकता सुनिश्चित होती है। विश्वविद्यालय के भीतर एवं बाहर सहयोगात्मक अनुसंधान को प्रोत्साहित करते हुए यह सुविधा विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान हेतु अत्याधुनिक उपकरणों की केंद्रीकृत उपलब्धता सुनिश्चित करती है तथा राष्ट्रीय एवं वैश्विक वैज्ञानिक उद्देश्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

xxvi) स्किल हब केंद्र (Skill Hub Centre):

(क) ग्रामीण व्यवसाय ऊष्मायन केंद्र (RuBIC):

राजीव गांधी विश्वविद्यालय, दोईमुख में **नाबार्ड (NABARD)** के सहयोग से स्थापित **ग्रामीण व्यवसाय ऊष्मायन केंद्र (Rural**

Business Incubation Centre – RuBIC) का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं के लिए उद्यमिता का सशक्त पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना तथा प्रभावी स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करना है। यह केंद्र अरुणाचल प्रदेश का कृषि एवं ग्रामीण स्टार्ट-अप्स को प्रत्यक्ष सहयोग प्रदान करने वाला अग्रणी ऊष्मायन केंद्र है।

हरित एवं शांत परिसर में स्थित यह केंद्र ग्रामीण युवाओं को नवाचार, उद्यमिता एवं व्यवसाय विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। **23 अप्रैल, 2025** को इस केंद्र का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश सरकार के कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री **श्री गैब्रियल डेनवांग वांगसू** द्वारा किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति, कुलसचिव, वित्त अधिकारी, विभिन्न अधिष्ठाता, कार्यक्रम समन्वयक तथा राज्य सरकार, उद्योग एवं स्थानीय उद्यमियों सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही।

RuBIC का उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्ट-अप संस्कृति को सुदृढ़ बनाना, नवाचार को प्रोत्साहित करना तथा मार्गदर्शन (Mentorship), वित्तीय सहयोग एवं व्यवसाय विकास सेवाओं के माध्यम से नए उद्यमों को स्थापित एवं विकसित करना है। यह केंद्र अरुणाचल प्रदेश में ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने वाला अपनी प्रकार का प्रथम संस्थान है।

(ख) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) एवं स्किल हब पहल:
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) की प्रमुख योजना है, जिसका क्रियान्वयन **राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)** द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य भारतीय युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें बेहतर आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है।

15 जनवरी, 2021 को **PMKVY 3.0** का शुभारम्भ किया गया, जिसका उद्देश्य उद्योगों की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास, पुनः कौशल विकास (Reskilling) तथा उन्नयन (Upskilling) को बढ़ावा देना है। योजना के अंतर्गत कोविड-19 महामारी के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डिजिटल एवं ऑनलाइन प्रशिक्षण तथा **Industry 4.0** आधारित कौशल कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया।

योजना के अंतर्गत तीन प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं—

1. अल्पकालिक प्रशिक्षण (Short Term Training – STT)
2. पूर्व अर्जित अधिगम की मान्यता (Recognition of Prior Learning – RPL)
3. विशेष परियोजनाएँ (Special Projects – SP)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप **स्किल हब पहल (Skill Hub Initiative)** का उद्देश्य सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा का समन्वय स्थापित करना तथा उद्योगोन्मुख कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इस पहल का क्रियान्वयन PMKVY 3.0 के केंद्रीय घटक के अंतर्गत **राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)** एवं राज्य शिक्षा विभागों के सहयोग से किया जाता है।

4 मार्च, 2022 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के साथ हुई बैठक के उपरांत अधिसूचना संख्या **RGU/REG-45/AC/21** के माध्यम से स्किल हब पहल के अंतर्गत कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु एक समिति का गठन किया गया। इसके पश्चात **मार्च, 2022** में राजीव गांधी विश्वविद्यालय में **स्किल हब केंद्र** की स्थापना की गई।

स्थापना के पश्चात केंद्र ने अल्प अवधि में निम्नलिखित दो कौशल विकास पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किए—

- **CCTV Installation Technician**
- **Technician – Paper Bag Manufacturing**

इन दोनों पाठ्यक्रमों के प्रथम बैच के सभी प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया।

पुस्तकालय उपयोग के नियम एवं विनियम (Rules and Regulations: Library Usage)

राजीव गांधी विश्वविद्यालय (पूर्व में अरुणाचल विश्वविद्यालय) अरुणाचल प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा का प्रमुख संस्थान है तथा अपनी स्थापना के **32 (बत्तीस) वर्ष** पूर्ण कर चुका है। भारत की दसवीं प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने **4 फ़रवरी, 1984** को विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी।

विश्वविद्यालय के स्थापना वर्ष में ही केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना सीमित संख्या में पुस्तकों के साथ की गई थी। वर्तमान में केंद्रीय पुस्तकालय विश्वविद्यालय की समस्त शैक्षणिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है तथा विश्वविद्यालय समुदाय को ज्ञान एवं सूचना संसाधनों तक पहुँच उपलब्ध कराता है। पुस्तकालय के दो भवनों में विशाल वाचन कक्ष तथा सुव्यवस्थित पुस्तक भंडारण (Compact Stack Area) की सुविधा उपलब्ध है।

वर्तमान में पुस्तकालय में लगभग **64,400 पुस्तकें** उपलब्ध हैं तथा विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं की सदस्यता ली गई है। इसके अतिरिक्त विभिन्न कंसोर्टियम के माध्यम से **10,000 से अधिक पूर्ण-पाठ (Full-text) ई-जर्नलों** तक ऑनलाइन पहुँच उपलब्ध है, जिनका अवलोकन एवं डाउनलोड किया जा सकता है।

पुस्तकालय में **17 दैनिक समाचार-पत्र** एवं **10 प्रतिष्ठित पत्रिकाएँ** भी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त **343 पीएच.डी. शोध-प्रबंध (Theses)** तथा **353 लघु शोध-प्रबंध (Dissertations)** संदर्भ हेतु पृथक अनुभाग में उपलब्ध हैं।

पुस्तकालय के स्वचालन हेतु मुक्त स्रोत (Open Source) पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर **KOHA** का उपयोग किया जा रहा है तथा पुस्तक निर्गमन-प्रत्यावर्तन की सुचारु व्यवस्था एवं पुस्तक चोरी की रोकथाम के लिए **RFID (Radio Frequency Identification)** तकनीक लागू की गई है।

केंद्रीय पुस्तकालय प्रत्येक कार्य दिवस में **प्रातः 9:00 बजे से सायं 7:00 बजे** तक अपने उपयोगकर्ताओं को सेवाएँ प्रदान करता है।

वेब लिंक: https://rgu.ac.in/facility/library

पुस्तकालय से संबंधित सुविधाएँ

- पुस्तकालय सदस्यता आवेदन प्रपत्र (Library Membership Form)
- विद्यार्थियों हेतु स्मार्ट कार्ड आवेदन प्रपत्र का वितरण
- केंद्रीय पुस्तकालय के नियम एवं विनियम

केंद्रीय पुस्तकालय के नियम एवं विनियम

1. विश्वविद्यालय में नियमित रूप से प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी, नियमित संकाय सदस्य, शोधार्थी (Ph.D./M.Phil.) तथा विश्वविद्यालय के नियमित कर्मचारी ही पुस्तकालय की सेवाओं का उपयोग करने के पात्र होंगे।

2. पुस्तकालय में प्रवेश से पूर्व सभी उपयोगकर्ताओं को अपने बैग एवं अन्य निजी सामान निर्धारित सामान गृह (Property Counter) में जमा करना होगा।

3. प्रत्येक उपयोगकर्ता को पुस्तकालय में प्रवेश करते समय आगंतुक पंजिका (Visitor's Register) में हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

4. निर्धारित सदस्यता प्रपत्र भरने के उपरांत उपयोगकर्ता को पुस्तकालय सदस्यता स्मार्ट कार्ड प्रदान किया जाएगा।

5. पुस्तकालय स्मार्ट कार्ड के माध्यम से निम्नानुसार पुस्तकें निर्गत की जा सकेंगी—

सदस्य	**पुस्तकों की संख्या**	**निर्गमन अवधि**
विद्यार्थी	5 पुस्तकें	1 माह
शोधार्थी	5 पुस्तकें	2 माह
संकाय सदस्य	15 पुस्तकें	3 माह
कर्मचारी	5 पुस्तकें	1 माह

निर्धारित तिथि से पूर्व अथवा उसी दिन पुस्तकों का **दो बार तक नवीनीकरण (Renewal)** कराया जा सकता है।

6. नियत तिथि तक पुस्तक वापस न करने पर **₹1.00 प्रति पुस्तक प्रतिदिन** के हिसाब से विलंब शुल्क (Fine) देय होगा।

7. पुस्तकालय स्मार्ट कार्ड पूर्णतः व्यक्तिगत है तथा किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।

8. पुस्तकालय का कार्य समय प्रत्येक कार्य दिवस में **प्रातः 9:00 बजे से सायं 5:00 बजे** तक रहेगा।

9. पुस्तकालय परिसर में सीसीटीवी कैमरों द्वारा सतत निगरानी की जाती है। यदि कोई उपयोगकर्ता पुस्तकों/दस्तावेजों को क्षतिग्रस्त करता है अथवा अनधिकृत रूप से पुस्तकें उधार देता है या चोरी करता हुआ पाया जाता है, तो उसकी सदस्यता तत्काल निरस्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुस्तकों पर निशान लगाना, लिखना अथवा उनके पृष्ठ मोड़ना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

10. यदि कोई उपयोगकर्ता पुस्तकालय की पुस्तक खो देता है, तो उसे उसी पुस्तक की नई प्रति उपलब्ध करानी होगी अथवा पुस्तकालय समिति के निर्णयानुसार उसका मूल्य एवं निर्धारित जुर्माना जमा करना होगा।

11. पाठ्य-पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, शोध पत्रिकाएँ, समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ, शोध-प्रबंध (Thesis) एवं लघु शोध-प्रबंध (Dissertations) निर्गमन हेतु उपलब्ध नहीं हैं। शोध-प्रबंध एवं लघु शोध-प्रबंध की फोटोकॉपी कराना भी अनुमत नहीं है।

12. उपयोगकर्ताओं को स्वयं पुस्तकों को रैक में वापस रखने की अनुमति नहीं है।

13. पुस्तकालय परिसर में मोबाइल फ़ोन केवल **साइलेंट मोड** अथवा **स्विच ऑफ** अवस्था में ही रखने की अनुमति है।

14. सभी पाठकों से पुस्तकालय में पूर्ण शांति बनाए रखने का अनुरोध किया जाता है।

15. बाहरी पाठकों (Outside Readers) को केवल **पुस्तकालयाध्यक्ष की पूर्व अनुमति** से ही पुस्तकालय उपयोग की अनुमति प्रदान की जाएगी।

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

अधिकारियों एवं कर्मचारियों का नाम, पदनाम, दूरभाष, फैक्स एवं ई-मेल आईडी:

विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के **नाम, पदनाम, दूरभाष (Telephone), फैक्स (Fax) तथा ई-मेल आईडी** संबंधी जानकारी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

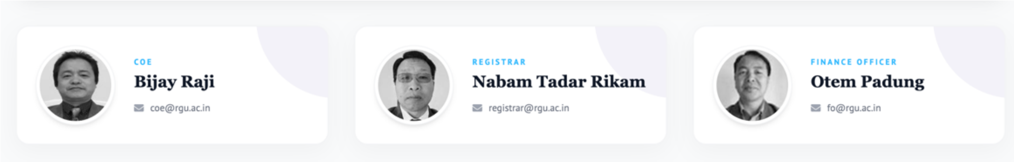

https://rgu.ac.in/#
https://rgu.ac.in/statutory-officers
https://rgu.ac.in/cell/right-to-information-cell
https://rgu.ac.in/cell/students-grievances-redressal-cell
https://admissions.rgu.ac.in/
https://rgu.ac.in/info/employee-details

संपर्क विवरण

क्र. सं.	नाम	पदनाम	ई-मेल पता
1.	डॉ. नाबाम तादार रिकाम	कुलसचिव (Registrar)	registrar@rgu.ac.in
2.	प्रो. ओटेम पडुंग	वित्त अधिकारी	otem.padung@rgu.ac.in
3.	डॉ. बिजय राजी	परीक्षा नियंत्रक	bijay.raji@rgu.ac.in
4.	डॉ. नानी तामांग जोसे	संयुक्त कुलसचिव	nani.jose@rgu.ac.in
5.	डॉ. डेविड पर्टिन	संयुक्त कुलसचिव	david.pertin@rgu.ac.in
6.	श्री हागे कोजी	सहायक कुलसचिव	hage.kojee@rgu.ac.in
7.	श्री गोमार बसर	सहायक कुलसचिव	gomar.basar@rgu.ac.in
8.	सुश्री ओरिएंटल टैग्गू	सहायक कुलसचिव	oriental.taggu@rgu.ac.in
9.	श्री बी. के. शाह	कार्यपालक अभियंता	basant.shah@rgu.ac.in
10.	श्री त्सेरिंग दोरजी मेगेजी	संयुक्त निदेशक (कंप्यूटर केंद्र)	tdmegeji@rgu.ac.in
11.	श्री सोलुंग सोनम	उप कुलसचिव	solung.sonam@rgu.ac.in
12.	सुश्री गुम्पी न्गूसो	हिंदी अधिकारी	gumpi.nguso@rgu.ac.in
13.	श्री बादल तेची	वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी	badal.techi@rgu.ac.in
14.	डॉ. अकिन ताना तारा	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	akin.tana@rgu.ac.in
15.	डॉ. (श्रीमती) चिन देई किम	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	chin.kim@rgu.ac.in
16.	श्री मुन्नालाल शर्मा	अनुभाग अधिकारी	munna.sharma@rgu.ac.in
17.	श्रीमती नाबाम काको (योवा)	अनुभाग अधिकारी	nabam.kako@rgu.ac.in
18.	श्री निच बापू	अनुभाग अधिकारी	nich.bapu@rgu.ac.in
19.	श्रीमती केनपु न्योरी	अनुभाग अधिकारी	kenpu.nyori@rgu.ac.in
20.	श्रीमती रूपा पोमौंग	अनुभाग अधिकारी	so.teaching@rgu.ac.in
21.	श्री डी. भट्टाचार्जी	अनुभाग अधिकारी	debojit.bhattacharjee@rgu.ac.in

22.	श्री अलीप रॉय	अनुभाग अधिकारी	alip.roy@rgu.ac.in
23.	श्रीमती तुतुमोनी देब (बरुआ)	अनुभाग अधिकारी	tutumoni.deb@rgu.ac.in
24.	श्रीमती नाबाम आरोती	अनुभाग अधिकारी	nabam.aroti@rgu.ac.in
25.	श्री अबू लेगो	संपदा अधिकारी	abu.lego@rgu.ac.in
26.	श्री ताव तेरी	कनिष्ठ अभियंता	taw.teri@rgu.ac.in
27.	श्री बीरी राणा	कनिष्ठ अभियंता	biri.rana@rgu.ac.in

Available at:
https://rgu.ac.in/rgu-profile
https://rgu.ac.in/info/employee-details
https://rgu.ac.in/statutory-officers
https://rgu.ac.in/reach-rgu
https://rgu.ac.in/cell/right-to-information-cell
https://rgu.ac.in/academic-council
https://rgu.ac.in/executive-council
https://rgu.ac.in/finance-committee
https://rgu.ac.in/college-development-council
https://rgu.ac.in/university-court
https://rgu.ac.in/advisory-committee

राजीव गांधी विश्वविद्यालय
(केंद्रीय विश्वविद्यालय)
रोनो हिल्स, दोईमुख
अरुणाचल प्रदेश-७९१११२